न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 69 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेसपोडेंटगण
1. रामाराम पुत्र गोमाराम 2. लूणाराम पुत्र गोमाराम 3. सोनाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी कोटड़िया तला (खारा) तहसील रामसर, जिला बाड़मेर		1. देवकंवर पत्नी मेघराजसिंह जाति राजपूत निवासी कोटड़िया तला 2. किरत भारती पुत्र चंदन भारती 3. देवभारती पुत्र चंदनभारती उम्र 15वर्ष उतरदाता संख्या03 नावालिग जरिये कुदरति वलिया माता उतरदाता सं. 4 4. धनी बेवा चंदनभारती 5. शंकरभारती पुत्र लखभारती 6. भूरभारती पुत्र रूपभारती जाति गोस्वामी निवासी कोटड़िया तला (खारा) 7. मूलाराम पुत्र गंगाराम 8. मांगीलाल पुत्र भूराराम 9. श्रीमती कबू बेवा भूराराम जाति जाट निवासी कोटड़िया तला (खारा) 10. तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 19 / 2020 बअनवान देवकंवर बनाम किरतभारती में पारित आदेश दिनांक 23.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री करनाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—17.04.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा कोटड़िया तला, पटवार हल्का हाथमा, तहसील रामसर में खसरा संख्या 569 / 428 रकबा 41.00 बीघा का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाड़ौस के खेत खसरा संख्या 418, 419, 560/419, 561/419 में से ही आ जा सकते उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का व भू निरीक्षक हाथमा ने दिनांक 08.10.2020 व 12.05.2021 को मौका पर जाने का उल्लेख करते हुऐ तहसीलदार रामसर ने दिनांक 18.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उक्त दोनों मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांटगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा न ही तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका देखा गया। विधि का सुस्थापित तथ्य है कि कोई भी अधिकार जिसे दिया जाता है, वह उस अधिकार को आगे अन्य किसी को अधिकृत नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस जगह रास्ता प्रस्तावित किया गया वहां मौके पर अपीलांटगण की पक्की दुकार व आटा चक्की लगाई हुई है, जिस पर विद्युत संबंध भी स्थापित हो रखा है। अपीलांट लूणाराम के सिंचाई हेतु इस प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर पानी की डिग्गी व उसके पास झूंपा भी बना हुआ है, अगर उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अपीलांट लूणाराम की दुकान, आटाचक्की, खेत में कुए से सिंचाई करने हेतु पानी की डिग्गी, निवास हेतु बनाये गये झूपे को हटाना पड़ेगा जिससे अपीलांटगण को भारी नुकसान होगा। उतरदाता के खातेदारी खेत तक आने जाने हेतु रास्ता प्रचलित है उक्त तथ्यों को राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त छुपाया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांट की आपति को स्वीकार करते हुए मौका रिपोर्ट तलब की गई उसमें भी प्रस्तावित रास्ते में कोई निर्माण नहीं आ रहा है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अपीलांटस की आपति को स्वीकार करते हुए हाजा न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति को जानने के लिए मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका फर्द दिनांक 03.01.2023 में स्पष्ट आया है कि मौका जांच व नाप अनुसार मौके पर बनी दूकान व आटा चक्की से 2 गट्ठा व पानी की डिग्गी से 3 गट्ठा दूर रास्ता है। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 19/2020 बअनवान देवकंवर बनाम किरतभारती में पारित आदेश दिनांक 23.03.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिभा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर